न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व वाद संख्या : 128 / 2024
निर्णय दिनांक : 12.03.2025
जीसीएमएस संख्या– 2024 / 262 दायर दिनांक – 18.12.2024

1. शान्ति देवी बिजारणियां पत्नी हरकचन्द जाति जाट निवारीनी ग्राम चारियां तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
2. सरोज पत्नी बलबीर जाति जाट निवारीनी ग्राम चारियां तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान

................प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–

1. श्री महेश शर्मा एडवोकेट वादीगण
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला चूरू

–:निर्णयः–

यह वाद–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत वादीनी संख्या 01. श्रीमती शान्ति देवी बिजारणियां पत्नी श्री हरकचन्द निवासनी ग्राम चारियां तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान एवं वादीनी संख्या 02. श्रीमती सरोज पत्नी बलबीर निवासनी ग्राम चारियां तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान ने वाद–पत्र प्रस्तुत किया। वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीनी संख्या 01 ने रोही मौजा सालासर के तात्कालिक खसरा नम्बर 1673 / 169 रकबा 2 बीघा 13 बिश्वा में से तादादी 1 बीघा 11 बिश्वा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 15–06–2015 के आधार पर विक्रेता श्री तिलोकाराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट नि. सालासर से खरीद की थी, जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 2116 / 1673 रकबा 0.3919 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड में दर्ज स्थित है। वादीनी संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित विक्रय–पत्र में निम्न आसा–पासा अंकित किये गये थे।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
खातेदारी भूमि श्री मांगीलाल पुत्र आसुराम प्रजापत एवं बाकी मांदा भूमि प्रणकर्ता विक्रेता के मवक्किल की संपरिवर्तित भूमि	कच्चा कटाणी रास्ता	सड़क सालासर से सीकर	बाकी मांदा भूमि प्रणकर्ता विक्रेता के मवक्किल की खातेदारी भूमि

इसी प्रकार से वादीनी संख्या 02 ने रोही मौजा सालासर के तात्कालिक खसरा नम्बर 1673/169 रकबा 2 बीघा 13 बिश्वा में से तादादी 1 बीघा 02 बिश्वा भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 15–06–2015 के आधार पर विक्रेता श्री तिलोकाराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट नि. सालासर से खरीद की थी, जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 2117/1673 रकबा 0.2781 हैक्टेयर राजस्व रेकार्ड में दर्ज स्थित है। वादीनी संख्या 02 के पक्ष में निष्पादित विक्रय–पत्र में निम्न आसा–पासा अंकित किये गये थे।

उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
खातेदारी भूमि श्री मांगीलाल पुत्र आसुराम प्रजापत	कच्चा कटाणी रास्ता	बाकी मांदा भूमि प्रणकर्ता विक्रेता के मवक्किल की खातेदारी भूमि	हरिराम, रामदेवाराम पुत्रगण पुसाराम जाट (खिलेरी)

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नक्शा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सालासर के पुराने ख.नं. 1673/169 रकबा 2 बीघा 12 बिश्वा में से 1 बीघा 11 बिश्वा भूमि वादीनी सं. 1 शान्ति देवी पत्नी हरकचन्द जाति जाट निवासी चारियां ने खरीदी थी जिसके वर्तमान ख.नं. 2116/1673 रकबा 0.3919 हैक्टेयर रिकार्ड में दर्ज है। उक्त ख.न. 2116/1673 की नक्शा में तरमीम मुताबिक रजि. विक्रय–पत्र में दर्शाये आसा पासा अनुसार नहीं है। उसी प्रकार पुराने ख.नं. 1673/169 रकबा 2 बीघा 13 बिश्वा में से 1 बीघा 02 बिश्वा भूमि वादीनी सं. 2 सरोज पत्नी बलबीर जाति जाट निवासी चारियां ने खरीदी थी जिसके वर्तमान ख.नं. 2117/1673 रकबा 0.2781 हैक्टेयर रिकार्ड में दर्ज है। उक्त ख.न. 2117/1673 की नक्शा में तरमीम मुताबिक रजि. विक्रय–पत्र में दर्शाये आसा पासा अनुसार नहीं है। मौके पर उक्त ख.नं. 2116/1673 व 2117/1673 के बीच किसी प्रकार की मेड़ आदि बनी हुई नहीं है। फर्द मौका रिपोर्ट में नक्शा बनाया गया है जिसमें उक्त विक्रय–पत्रों के अनुसार विपरित तरमीम होना बयान किया गया है।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के राजस्व राजस्व रेकार्ड में दर्ज नक्शों में तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट में बनाये गये नजरी नक्शा संख्या 02 के अनुसार तरमीम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति के साथ फर्द मौका रिपोर्ट की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को टंकित करवाया जाकर खुले अदालत में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमेंइब्तदाई

(ऑर्डर 20, रुल 6–7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्डअधिकारीमुकामसुजानगढ़

बइजलासश्रीओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

शान्ति देवी बिजारणियां आदि बनाम राजस्थान सरकार

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 128 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु ....हाजरी श्री महेश शर्मा एडवोकेट, .मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार राज़ मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि ग्राम सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू के राजस्व राजस्व रेकार्ड में दर्ज नक्शों में तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट में बनाये गये नजरी नक्शा संख्या 02 के अनुसार तरमीम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति के साथ फर्द मौका रिपोर्ट की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज.. मुबलिग .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक .... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 03 2025

मुहर

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़

ओहदा ....

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पवजहसबूत महनताना वकील खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्पवकालतनामा स्टाम्पअर्जी महनतानावकीलपर खर्चागवाहान फीसकमिश्नर बाबतइजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्मपरकुल खर्चाहरदोफरीकेनका, चाहेडिकरी के जरियेदिलायागयाहो या नही दर्जकरनाचाहिये